(90)

2.4ab

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला-रीवा

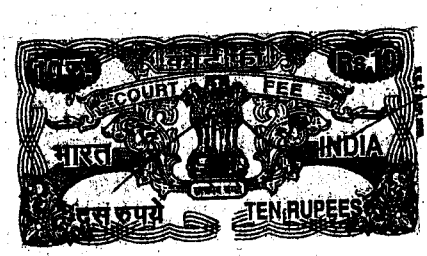

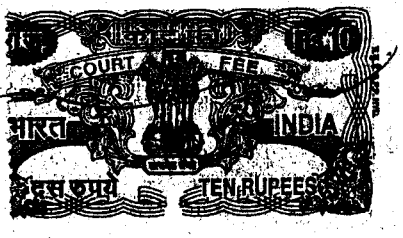

1- किशोर कुमार टेकचन्दानी तनय श्री चेलाराम टेकचन्दानी, उम्र 55 साल निवासी रसाला सिन्धी कैम्प सतना शहर, जिला सतना (म0प्र0)-

2- मोतीलाल सिंह पिता श्री रामदेव सिंह उम्र 75 साल, निवासी ग्राम व पोस्ट मद्रेपुर, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)------निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1- उमेश कुमार दुबे पिता श्री ब्रजकिशोर दुबे, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम व पोस्ट मद्रेपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)-

2- श्रीमती सुनैना देवी धर्म पत्नी श्री भगवानदास चौहान, निवासी घोघर रीवा शहर, जिला रीवा (म0प्र0)-

3- ओमप्रकाश दुबे पिता श्री जनकिशोर दुबे, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम व पो0 मद्रेपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)-

4- कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल दुबे, उम्र 65 साल, निवासी ग्राम पो0 मद्रेपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0-

5- छोटेलाल दुबे पिता श्री नंदकिशोर दुबे, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम व पोस्ट मद्रेपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0----- अनावेदकगण

R-1719-II/12

अधिवक्ता श्री अवधराज सिंह द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि० 21.5.2012

अपर कलेक्टर रीवा द्वारा, प्र0क्र0 34/-7 2009-010 में पारित आदेश दिनांक 15/ 2012 के विरुद्ध निगरानी याचिका, अन्तर्गत धारा 50 भू.-राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:-

आवेदकगण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:-

1- प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मौजा मद्रेपुर, नम्बर नं0 507 तहसील हुजूर, जिला रीवा, स्थित भूमि खसरा क्रमांक 14 रकवा 13.1 में कुल सात बटे नंबर कायम हो गये हैं, खसरा क्रमांक 14/4 रकवा 2ए ... खसरा क्रमांक 14/1 रकवा

(1)	(2)	(3)
06-06-17	यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 34/अ–14/2009–10 में पारित अंतरिम आदेश दि0 15–5–2012 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदकगण उनके स्वामित्व की भूमि के नक्शा में सुधार चाहते हैं जिसके लिये उन्होंने अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में आवेदन देने पर प्रकरण कमांक 34/अ–14/ 2009–10 पॅजीबद्व हुआ एंव भूमि की स्थिति की जॉच अपर कलेक्टर रीवा ने कराई है जिस पर आवेदकगण की ओर से दो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई । प्रथम आपत्ति यह है कि लेखी एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय। दूसरी आपत्ति यह है कि राजस्व निरीक्षक के	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1719–दो/2012 जिला– रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बजाय नायव तहसीलदार से मौके का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय। 4/ उपरोक्त आपत्तियों को अपर कलेक्टर रीवा ने अंतरिम आदेश दिनांक 15–5–12 से इस आधार पर निरस्त किया है कि मूल मामला नक्शा सुधार है एंव तहसील न्यायालय में जॉच एंव सुनवाई के दौरान आवेदकगण ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एंव जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रकरण नियत हो जाने तथा प्रतिवेदन के पूर्व तदाशय की मांग न करने के कारण अपर कलेक्टर स्तर पर अब मौखिक साक्ष्य का औचित्य नहीं है। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक के स्थान पर नायव तहसीलदार से पुर्नजॉच प्रतिवेदन मंगाने का औचित्य इस आधार पर नहीं समझा गया है क्योंकि राजस्व निरीक्षक का स्थल जॉच प्रतिवेदन नायव तहसीलदार ने सहमति सहित प्रतिवेदित किया है। अपर कलेक्टर रीवा के इस निर्णय पर विचार किया गया। अपर कलेक्टर व्दारा लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है। प्रकरण के अवलोकन से आभाषित है कि आवेदकगण वाद विचारित भूमि का नक्शा सॅशोधित नहीं होने देना चाहते हैं और इस कार्यवाही में विलम्ब करने के उद्देश्य से आवेदकगण ने यह निगरानी प्रस्तुत की है जिसके कारण वर्ष 2012 में	

निराकृत होने वाला प्रकरण आज तक विलम्बित है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 34/अ–14/2009–10 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 15–5–2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य